दिनांक 17.02.2026 को अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान प्रक्षेत्राधीन पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य (ई0आर0एम0) योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं संवेदक की सूची परिशिष्ट–1 में संलग्न।

<u>मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान प्रक्षेत्र</u>

1. पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली (सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) के पुनर्स्थापन (ई0आर0एम0) योजना अन्तर्गत सभी नौ ग्रुपों के कार्यों की समीक्षा की गई :–

<u>ग्रुप सं0–01</u>

ग्रुप सं0–01 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, भोरे एवं गोपालगंज अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, भोरे है। दिनांक 06.02.2026 को संपन्न बैठक में दिये गए निदेश के अनुपालन में सारण नहर प्रमंडल, भोरे के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कुछ नहरों में कार्य प्रारंभ किया गया है। साथ ही एकरारनामा के तहत प्रावधानित संरचनाओं के निर्माण की प्रगति काफी धीमी है। इस ग्रुप का Overall Physical Progress 32 % है।

दिनांक 06.02.2026 को संपन्न बैठक में दिये गए निदेश के अनुपालन में प्रमंडलीय अभियंताओं द्वारा संवेदक को दो अदद् सी0डी0 एवं 15 अदद् एच0आर0/सी0आर0 का नक्शा उपलब्ध करा दिया गया। साथ ही प्रमंडलीय अभियंताओं द्वारा नहरों में वृक्ष पातन के संबंध में बताया कि संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी से वृक्ष पातन का आदेश प्राप्त हो गया है एवं वनागार चिह्नित करा लिया गया है। Electric Pole Shifting की समस्या के संबंध में बताया गया कि उर्जा विभाग के अभियंताओं के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है एवं अधिकतर Electric Pole का प्राक्कलन भी प्राप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त संवेदक द्वारा बताया गया कि E/W के लंबित भुगतान का विपत्र कोषागार में प्रेषित है।

संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वृक्ष पातन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। संबंधित संवेदक द्वारा वृक्ष पातन कार्य हेतु उन्हें कितना भुगतान होगा, इसकी जानकारी माँगी गई। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वृक्ष पातन कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा संबंधित प्राक्कलन अविलंब तैयार करते हुए वृक्ष पातन शीघ्र प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया, ताकि कार्य में व्यवधान न हो।

<u>ग्रुप सं0–02 (ग्रुप सं0–07 सहित)</u>

ग्रुप सं0–02 (ग्रुप सं0–07 सहित) का कार्य सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज, भोरे एवं मढ़ौरा अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज है। ग्रुप सं0– 02 का प्रगति 84 % एवं इसके साथ संलग्न ग्रुप सं0–07 का भौतिक प्रगति 10.40 % है। इस प्रकार ग्रुप का समेकित प्रगति 47.50 % है।

सारण नहर प्रमंडल, भोरे एवं गोपालगंज के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वृक्ष पातन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज स्तर से अनुमति प्राप्त हो गई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण स्तर से वृक्ष पातन की अनुमति अभी भी प्रक्रियाधीन है।

संवेदक द्वारा उठाए जा रहे लीड से मिट्टी कार्य, बालू के लीड से संबंधित लंबित भुगतान के लिए अभिलेख के आधार पर दिनांक 13.02.2026 तक नियमानुकूल भुगतान कर दिए जाने का निदेश दिया गया था, भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा काफी खेद प्रकट किया गया एवं पुनः दिनांक 24.02.2026 तक कार्रवाई किए जाने हेतु मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं प्रमंडलीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

एकरारनामा के तहत प्रावधानित संरचनाओं के निर्माण की प्रगति काफी धीमी है। संवेदक को कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु निदेशित किया गया।

<u>ग्रुप सं0–03</u>

ग्रुप सं0–03 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, मैरवा अन्तर्गत है। कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मैरवा द्वारा बताया गया कि ग्रुप सं0–03 अन्तर्गत इनके प्रमंडलाधीन 80.23 % भौतिक प्रगति है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज स्तर से वृक्ष पातन की अनुमति प्राप्त हो गई है एवं इस कार्य में विद्युत पोल शिफ्टिंग का कोई मामला नहीं है। कार्य की प्रगति काफी धीमी है।

संवेदक द्वारा उठाए जा रहे लीड से मिट्टी कार्य, बालू के लीड से संबंधित लंबित भुगतान के लिए अभिलेख के आधार पर दिनांक 13.02.2026 तक नियमानुकूल भुगतान कर दिए जाने का निदेश दिया गया था, भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा काफी खेद प्रकट किया गया एवं पुनः दिनांक

24.02.2026 तक कार्रवाई किए जाने हेतु मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं प्रमंडलीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

ग्रुप सं0–04

ग्रुप सं0–04 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, सिवान एवं भोरे अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, सिवान है। कार्य की भौतिक प्रगति 20.20 % है। सारण नहर प्रमंडल, भोरे के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है।

संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज स्तर से वृक्ष पातन की अनुमति प्राप्त हो गई है। सारण नहर प्रमंडल, सिवान के कार्य क्षेत्र में वृक्ष पातन का मामला वन प्रमंडल, सारण से संबंधित है। जिसके अनुमति अभी प्रक्रियाधीन है।

संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा अवधि विस्तार हेतु सुसंगत अभिलेख अगले तीन दिनों में विभाग में भेजे जाने की बात कही गई।

ग्रुप सं0–05

ग्रुप सं0–05 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, एकमा, महाराजगंज एवं छपरा अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, एकमा है। कार्य की भौतिक प्रगति 79.00 % है। प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। दिनांक 31.05.2026 तक कार्य पूर्ण किया जाना है, लेकिन संवेदक द्वारा ओ0आई0एस0 के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज स्तर से वृक्ष पातन की अनुमति प्राप्त हो गई है, लेकिन वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण स्तर से अभी भी वृक्ष पातन की अनुमति प्रक्रियाधीन है।

संवेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.02.2026 को प्राप्त निदेश के आलोक में महल एवं सिकड़िया उपवितरणी में कार्य प्रारम्भ करने हेतु मशीनरी स्थल पर लाया गया है, जिसकी पुष्टि प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा की गई।

ग्रुप सं0–06

ग्रुप सं0–06 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, छपरा, महाराजगंज एवं एकमा अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, छपरा है। कार्य की भौतिक प्रगति 80.33 % है। प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। दिनांक 31.05.2026 तक कार्य पूर्ण किया जाना है, लेकिन संवेदक द्वारा ओ0आई0एस0 के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज स्तर से वृक्ष पातन की अनुमति प्राप्त हो गई है, लेकिन वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण स्तर से अभी भी वृक्ष पातन की अनुमति प्रक्रियाधीन है।

कार्य मद के वास्तविक आकलन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति की कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं प्रमंडलीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

ग्रुप सं0–08

ग्रुप सं0–08 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज, सिवान एवं मढ़ौरा अन्तर्गत फैला हुआ है। इस कार्य का नोडल प्रमंडल सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज है। कार्य की भौतिक प्रगति 88.44 % है। संबंधित प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति संतोषजनक है। दिनांक 31.05.2026 तक कार्य पूर्ण किया जाना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज स्तर से वृक्ष पातन हेतु अनुमति प्राप्त हो गई है।

कार्यपालक अभियंता, मढ़ौरा द्वारा बताया गया कि पूर्व के बैठक में संवेदक द्वारा उठाए गए तथ्य के आलोक में उनके प्रमंडल अन्तर्गत कार्य की भौतिक प्रगति में आवश्यक सुधार कर दिया गया है, जो लगभग 69 % है।

ग्रुप सं0–09

ग्रुप सं0–09 का कार्य सारण नहर प्रमंडल, मैरवा अन्तर्गत है। कार्य की भौतिक प्रगति 43.44 % है। संबंधित प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। दिनांक 31.05.2025 तक कार्य पूर्ण किया जाना था।

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज स्तर से वृक्ष पातन हेतु अनुमति प्राप्त हो गई है। संवेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत पोल विस्थापन की समस्या है। साथ हीं ओभरहेड डिफरेन्स के भुगतान में विलंब हो रहा है।

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा पूर्व के बैठक में दिनांक 13.02.2026 तक नियमानुकूल भुगतान हेतु निदेशित किया गया था, भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में खेद व्यक्त करते हुए पुनः दिनांक 24.02.2026 तक नियमानुकूल भुगतान करने का निदेश दिया गया।

पूरे कार्यों के समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज स्तर से वृक्ष पातन की अनुमति एवं वनागार का चयन हो चुका है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण स्तर से वृक्ष पातन की अनुमति अभी भी प्रक्रियाधीन है। मुख्य अभियंता द्वारा इस संबंध में बताया गया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण से उन्होंने अविलंब वृक्ष पातन की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वन रक्षकों द्वारा वृक्षों की गणना की जा चुकी है एवं उसपर मार्किंग का कार्य किया जा रहा है, जो अगले दो दिनों में हो जाएगा। मार्किंग हो जाने के पश्चात् हीं अनुमति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता से वन प्रमंडल, सारण अन्तर्गत लंबित वृक्ष पातन की अनुमति से संबंधित डाटा मोबाईल पर उपलब्ध कराने हेतु कहा गया, जिसे वन प्रमंडल पदाधिकारी को Forward करते हुए उनके द्वारा पुनः अनुरोध किया जा सके, लेकिन वांछित डाटा अभी तक अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित डाटा मुख्य अभियंता को आज हीं उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

विद्युत पोल शिफ्टिंग हेतु अभी तक पूरा प्राक्कलन संबंधित विद्युत अंचल/प्रमंडलों से प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा अगले दो दिनों में संबंधित विद्युत अंचलों/प्रमंडलों से प्राक्कलन प्राप्त करते हुए क्षेत्रीय पदाधिकारियों को स्पष्ट एवं समेकित प्रस्ताव विभाग में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग द्वारा सभी ग्रुपो के लिए मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान एवं सभी क्षेत्रीय अभियंताओं को समेकित रूप से दिया गया निदेश निम्नांकित है :–

(क) वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज स्तर से जिन नहरों के लिए वृक्ष पातन की अनुमति प्राप्त हो गई है, उनमें युद्ध स्तर पर वृक्ष पातन का कार्य कराया जाय। वृक्ष पातन के भुगतान के संबंध में पूर्व में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(ख) समुचित कार्रवाई करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण स्तर से वृक्ष पातन की अनुमति प्राप्त की जाए एवं कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराया जाए।

(ग) विद्युत पोल विस्थापन के संबंध में संबंधित विद्युत अंचल/प्रमंडल से पूरा प्राक्कलन/दो दिनों में प्राप्त कर समेकित विवरणी विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। विद्युत पोल विस्थापन के कार्य के संबंध में पूर्व में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(घ) संवेदक स्तर से उठाए जा रहे लीड से मिट्टी कार्य, बालू के लीड संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए दिनांक 24.02.2026 तक उसका नियम संगत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) कार्य में संलग्न पदाधिकारियों द्वारा Encumbrance Register (बाधा पंजी) का समुचित रूप से संधारण किया जाए।

(च) पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य 09 ग्रुपों में विभक्त कर निष्पादित कराया जा रहा है। समय–समय पर विभिन्न ग्रुप के Scope of Work में बदलाव हुआ है। अतएव ग्रुपवार कार्यों की समीक्षा कर वास्तविक रूप से निष्पादित किये जाने वाले कार्य मद एवं उसकी मात्रा का आकलन किया जाना आवश्यक है। अतः सभी ग्रुपों के कार्य मद एवं उसकी मात्रा का आकलन कर प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष समेकित स्थिति से अवगत कराया जाए।

(छ) शेष बचे कार्यों को निर्धारित अवधि तक पूर्ण कराए जाने हेतु संवेदक से वर्क प्रोग्राम प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(ज) सभी ग्रुपों के नोडल पदाधिकारी योजना से संबंधित सभी अभिलेखों का संधारण एवं उपस्थापन सही तरीके से करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु अन्य सम्बद्ध प्रमंडल उन्हें वांछित अभिलेख/सहयोग ससमय उपलब्ध कराएंगे।

(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांकः— मो0 2 सिवान—221 / 2022 (अंश)— 447 / पटना, दिनांक : 25-02-2026

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग सिवान / अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान / छपरा तथा कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, भोरे / छपरा / महाराजगंज / एकमा / मढ़ौरा / मैरवा / गोपालगंज / सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान अपने स्तर से सभी संबंधित संवेदक को बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

25/02/26

(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांकः— मो0 2 सिवान—221 / 2022 (अंश)— 447 / पटना, दिनांक : 25-02-2026

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/02/26

(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांकः— मो0 2 सिवान—221 / 2022 (अंश)— 447 / पटना, दिनांक : 25-02-2026

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/02/26

(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांकः— मो0 2 सिवान—221 / 2022 (अंश)— 447 / पटना, दिनांक : 25-02-2026

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई तथा विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

25/02/26

(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

परिशिष्ट–1 :–

1. ई0 अवधेश कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना
2. ई0 जयप्रकाश पासवान, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान ।
3. ई0 प्रशांत कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, पटना।
4. ई0 अनिल कुमार, अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान।
5. ई0 मो0 इमरान अहमद, अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा।
6. ई0 प्रफुल्ल कुमार, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–7, पटना।
7. ई0 सुरेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मैरवा।
8. ई0 दिलीप कुमार, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज।
9. ई0 दीपक कुमार, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान।
10. ई0 संजीव कुमार, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, भोरे।
11. ई0 मो0 जीशान अली, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा।
12. ई0 मो0 कमरूजम्मा, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा।
13. ई0 इन्द्रजीत कुमार, सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02।
14. ई0 नीरज कुमार सिंह, सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–02।
15. ई0 नीलमणि, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज।
16. ई0 राणा रणधीर वर्मा, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज।
17. ई0 पियुष कुमार, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा।
18. ई0 अनिश कुमार पटेल, सहायक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा।
19. श्री अजीत पाण्डेय, M/S Baibhav Pvt. Ltd.
20. श्री सतीश कुमार, R.K.S Engicon Pvt. Ltd.
21. श्री विनोद कुमार सिंह, M/S Kamladitya Const. Pvt. Ltd.